...यालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

दायर दिनांक: 22.10.2019

...संख्या :–170 / 2019

...NO:- 2019/000491

...अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

...शोजीलाल आ0 कल्याण जाति माली निवासी सूंसा पटवार मण्डल बटावती तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थी–

बनाम

1. बाबूलाल आ0 बद्रीलाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम सूंसा तहसील नैनवां हाल निवासी पेट्रोल पम्प के सामने श्रीराम चौराहा के पास ग्राम इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
2. सूरजमल आ0 रामगोपाल जाति ब्राम्हण निवासी पुराने कार्यालय बैंक ऑफ बडोदा शाखा के पास मेन बाजार करवर तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. दुर्गाशंकर आ0 रामगोपाल जाति ब्राम्हण निवासी सूंसा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

––अप्रार्थीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थी एवं प्रत्यार्थीगण

निर्णय दिनांक 23.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम सूंसा पटवार मण्डल बटावती तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 1241 / 838 / 06–19, 839 / 03–05 भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का खाता एवं हिस्सा है। यह कि उक्त भूमियों में आने जाने के लिए रास्ता ग्राम सूंसा से नहर के सहारे होकर अप्रार्थीगण के खाते के खेत खसरा संख्या 857 / 1085, 1139 / 859, 251 / 1035, 857 / 1086 मे होकर 15 फिट चौडा रास्ता अर्सेदराज से बना हुआ है। यह कि उक्त रास्ता राजस्व नक्शा शीट में तरमीम किया जावे तथा जमाबंदी में दर्ज किया जावे। प्रार्थी रास्ते में आने वाली भूमि का डीएलसी दर से राशि जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी, नक्शा परिशिष्ट क, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार प्रार्थी की भूमि तक पहुॅचने के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त कोई अन्य सीधा एवं सुगम रास्ता का विकल्प नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के लिए भूमि खसरा संख्या 857 / 1085 रकबा 0.1133 है0 में से रकबा 72 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 144 वर्ग गठ्ठा भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से बिन्दु ए से बी तक दर्शाया गया है ।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट कैथूदा में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थी को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब / रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्र... ...स्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:46:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

Scanned with CamScanner

...या जाना उचित बताया है। ग्राम सूंसा पटवार मण्डल बटावती तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 1241/838/06–19, 839/03–05 भूमि पर पहुंचने के लिए खखसरा संख्या 857/1085 रकबा 0.1133 है० में से रकबा 72 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 144 वर्ग गठ्ठा भूमि रास्ता के रूप में दिये जाने के आदेश दिये जाते है। जिसे नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "अ" में लाल डोटेड लाइन से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'अ' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:46:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner